प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां

Semester-I

Sub : Political Science

भारत का प्रधानमंत्री देश की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह सरकार का मुखिया, मंत्रिपरिषद का नेता और प्रशासन का मुख्य संचालक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 78 में प्रधानमंत्री की भूमिका का आधार मिलता है।

1. मंत्रिपरिषद का प्रमुख

प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करवाते है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वह मंत्रियों के विभाग तय करते है। आवश्यकता पड़ने पर विभागों में फेरबदल कर सकते है।किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते है।

2. राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते है।

देश के प्रशासन, नीतियों और महत्वपूर्ण मामलों से राष्ट्रपति को अवगत कराते है। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख (Head of State) होते हैं। संविधान के भाग V (अनुच्छेद 52–62) में राष्ट्रपति के पद, चुनाव, कार्यकाल और शक्तियों का वर्णन है।

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election)

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं:

लोकसभा के निर्वाचित सदस्य

राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य

राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

नामित सदस्य मतदान नहीं करते।

(ख) मतदान की पद्धति

एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

गुप्त मतदान

इससे केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना रहता है।

(ग) राष्ट्रपति बनने की योग्यता

भारत का नागरिक हो

कम से कम 35 वर्ष आयु हो

लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो

किसी लाभ के पद पर न हो

2. **कार्यकाल**

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।

इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं।

महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं।

3. राष्ट्रपति की शक्तियाँ

कार्यपालिका शक्तियाँ

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति (PM की सलाह पर)

राज्यपालों की नियुक्ति

मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, CAG आदि की नियुक्ति

प्रशासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है

(ख) विधायी शक्तियाँ

संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना

लोकसभा भंग करना

संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना

विधेयकों पर स्वीकृति देना

संसद सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 123)

(ग) वित्तीय शक्तियाँ

बजट राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है

धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत होता है

आकस्मिक निधि पर नियंत्रण

(घ) न्यायिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति को दया याचिका पर निर्णय का अधिकार है:

क्षमादान (Pardon)

दंड में कमी (Remission)

दंड स्थगन (Reprieve)

दंड परिवर्तन (Commutation)

विशेष रूप से मृत्युदंड के मामलों में भी। (अनुच्छेद 72)

(ङ) सैन्य शक्तियाँ

राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं।

सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं।

युद्ध/शांति की घोषणा औपचारिक रूप से करते हैं (संसदीय प्रक्रिया के अनुसार)।

(च) कूटनीतिक शक्तियाँ

राजदूतों की नियुक्ति

विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत

संधियों पर हस्ताक्षर (सरकार की सलाह पर)

(छ) आपातकालीन शक्तियाँ

राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं:

1. राष्ट्रीय आपातकाल – अनुच्छेद 352

2. राष्ट्रपति शासन – अनुच्छेद 356

3. वित्तीय आपातकाल – अनुच्छेद 360

4. महाभियोग (प्उचमंबीउमदज)

संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है।

संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है।

विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। यद्यपि अधिकांश शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग होती हैं, फिर भी राष्ट्रपति का पद देश की शासन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानित है।

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, पद, शक्तियों और संवैधानिक स्थिति को विस्तार से समझना भारतीय राजव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रपति राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के भाग V (अनुच्छेद 52–62) में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।